भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. *190

गुरुवार, 4 जुलाई, 2019/13 आषाढ़, 1941 (शक)

पथकर संग्रहण से राजस्व

***190. श्री बैन्नी बेहननः**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान संग्रहीत पथकर की कुल राशि राज्य-वार कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान अर्जित किए गये ऐसे राजस्व से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर कोई धनराशि व्यय की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सहित कुछ राज्यों ने विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों से पथकर के संग्रहण के संबंध में आपत्तियां उठाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में विभिन्न हितधारकों के साथ क्या परामर्श किए गए हैं और उनसे क्या परिणाम हासिल हुए?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

<u>**विवरण**</u>

'पथकर संग्रहण से राजस्व' के संबंध में श्री बैन्नी बेहनन द्वारा पूछे गए दिनांक 04.07.2019 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या *190 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): पिछले तीन और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकार द्वारा एकत्र की गई प्रयोक्ता फीस (टोल) का राज्यवार ब्यौरा **'अनुलग्नक-क'** में दिया गया हैं।

(ख): जी, हां। पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर सरकार द्वारा आवंटित/व्यय की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	टोल प्रेषण से एनएचएआई परियोजनाओं के लिए आवंटित निधि (रु. / करोड़)	राज्य पीडब्ल्यूडी के माध्यम से स्थायी पुल शुल्क निधि के लिए आवंटित निधि (रु. / करोड़)
2016-17	7500.00	72.29
2017-18	8462.14	21.42
2018-19	9570.13	04,09
2019-20 (मई 2019 तक)	2650.00	------

इसके अलावा, सरकार को टोल प्रचालन-हस्तांतरण (टीओटी) के माध्यम से रियायतग्राही से 9,681.50 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हुई है और इस राशि को भारत के समेकित कोष (सीएफआइ) में जमा किया गया है। टीओटी के तहत 9,681.50 करोड़ रु. की प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को जारी की गई थी। हालांकि, टोल का पुन: निवेशन किया जाना इस क्षेत्र के लिए समग्र आवंटन का एक छोटा सा घटक है।

(ग) एवं (घ): केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों द्वारा एनएचएआइ के फीस प्लाजाओं पर प्रयोक्ता फीस का भुगतान नहीं किया जा रहा है। एनएचएआइ ने राज्य सरकार के साथ कई बार इस मामले को उठाया है तथा एनएचएआइ ने टोल राजस्व में हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए भी केरल राज्य सरकार से दावा किया है। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं के तहत छह फीस प्लाजा और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना के तहत एक फीस प्लाजा जन आक्रोश के कारण परिचालन में नहीं हैं तथा एनएचएआइ द्वारा संबंधित राज्य सरकार से निरंतर बातचीत के बाद भी मामला अभी तक सुलझा नहीं है। ऐसे फीस पलाजाओं का ब्यौरा **'अनुलग्नक-ख'** में दिया गया है।

<u>अनुलग्नक-क</u>

'पथकर संग्रहण से राजस्व' के संबंध में श्री बैन्नी बेहनन द्वारा पूछे गए दिनांक 04.07.2019 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या *190 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की अवधि के लिए राजस्व संग्रहण विवरण (रु. / करोड़)

	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	592.87	826.45	633.86
2	बिहार	193.40	287.80	349.80
3	छत्तीसगढ़	9.17	10.21	8.81
4	गुजरात	356.19	489.90	486.29
5	हरियाणा	0.00	76.82	401.60
6	जम्मू और कश्मीर	73.89	79.11	96.64
7	झारखंड	174.18	236.32	262.14
8	कर्नाटक	302.36	351.57	344.57
9	केरल	6.91	5.25	5.93
10	मध्य प्रदेश	174.6 9	249.22	294.98
11	महाराष्ट्र	138.67	167.15	191.66
12	पूर्वोत्तर	39.55	47.63	56.69
13	ओडिशा	239.95	337.16	400.59
14	पंजाब	45.75	107.60	272.00
15	राजस्थान	785.80	642.37	336.67
16	तमिलनाडु	618.07	751.37	819.42
17	तेलंगाना	232.85	301.57	324.11
18	उत्तराखंड	1.86	0.16	3.71
19	उत्तर प्रदेश	953.95	1171.72	1353.08
20	पश्चिम बंगाल	409.38	410.64	466.82
क	**कुल** **(** क्रम संख्या 1 से 20 **)**	**5349.49**	**6550.02**	**7109.37**
ख	निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण [बीओटी (टोल] परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व	**1588.43**	**2080.66**	**2078.30**
ग	टोल- प्रचालन-हस्तांतरण (टीओटी) परियोजनाओं से राजस्व (30 वर्षों के लिए अग्रिम भुगतान)			**9681.50**
घ	वित्त वर्ष 2019-20 (मई, 2019 तक) में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1774.08 करोड़ रु. की प्रयोक्ता फीस एकत्र की गई है।			

<u>अनुलग्नक-ख</u>

'पथकर संग्रहण से राजस्व' के संबंध में श्री बैन्नी बेहनन द्वारा पूछे गए दिनांक 04.07.2019 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या *190 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलगनक

<u>उन टोल प्लाजाओं का ब्यौरा जिनमें जनता के आक्रोश के कारण टोल संग्रहण अभी शुरू नहीं किया जा सका है</u>

क्र. सं.	खंड	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	लंबाई किमी में	प्लाजा का स्थान	राज्य
सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजना					
1	जम्मू- पठानकोट	1 ए (44 नया)	48.650	किमी 16.400 लखनपुर	जम्मू और कश्मीर
2	सांबा- कुंजवानी	1 ए (44 नया)	46.000	किमी 88.300 थांडीखुई	
3	राखलडुबी से कोहोरा	31	50.80 0	दाहलापाड़ा	असम
4	गुवाहाटी बाईपास - नागांव - दाबोका - उडोली / खंड	36 और 37	73.67 0	किमी 254.514 राहा	असम
5	गुवाहाटी-सोनापुर (एएस - 3)	37	19.00 0	नजीराघाट	असम
6	दाबोका - लंका (एएस -16)	54	24.00 0	दाबोका	असम
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)					
1	औरंग-रायपुर	6	21.733	किमी 276.600 सुंदर नगर	छत्तीसगढ़

*****